(दो) 20 महीने के वेतन की वर्तमान अधिकतम सीमा के स्थान पर अधिकतम राशि 50 हजार रुपये की जा रही है।

(तीन) जिस तारीख से उपदान देय हो जाता है उससे 30 दिन के अन्दर इसके भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। यदि उपदान निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत नहीं दिया जाता तो नियोजक को निर्धारित दर पर साधारण ब्याज देना होगा।

(चार) अधिनियम के अन्तर्गत उपदान देने संबंधी नियोजक की देयता का अनिवार्य बीमा करने अथवा इसके विकल्प के रूप में 500 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली संस्थाओं के बारे में आय कर अधिनियम के अन्तर्गत एक उपदान न्यास निधि स्थापित करने का उपबन्ध किया जा रहा है।

संक्षेप में, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावित संशोधन इस विधेयक द्वारा किये जाने हैं। मुझे आशा है कि सदस्यगण इन प्रस्तावित संशोधनों का स्वागत करेंगे जो कि अविवादास्पद हैं। इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक को सदन में विचार करने के लिए रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम 1972, राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और अधिक संशोधन किए जाने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

5.35 म० प०

भारत-श्रीलंका समझौते के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, मैं कोलम्बो की संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण यात्रा से अभी-अभी लौटा हूं और मैं इसके निष्कर्ष के सम्बन्ध में तत्काल सदन को अवगत कराना चाहूंगा। मैं इस यात्रा को इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं कि श्रीलंका के महामान्य राष्ट्रपति ने और मैंने कल 29 जुलाई को एक करार पर हस्ताक्षर किए जिसका उद्देश्य उस कठिन संघर्ष को समाप्त करवाना है जो वर्षों से हमारे मित्र पड़ोसी श्रीलंका को दुखी करता आया है। सदन श्रीलंका के नागरिकों के बीच के जातीय संघर्ष की पृष्ठभूमि से परिचित है जिसकी जड़ें वहां के जटिल ऐतिहासिक और आर्थिक-सामाजिक कारणों में निहित हैं। इस संघर्ष ने पिछले चार वर्षों में बहुत गंभीर रूप ले लिया था जिसके कारण श्रीलंका के स्थायित्व और उसकी एकता और अखण्डता के लिए खतरा पैदा हो गया था।

1983 में तमिलों के विरुद्ध अभूतपूर्व हिंसा के साथ तो हालात बहुत ही अधिक बिगड़ गए। मैं बड़े पैमाने पर हुई हत्याओं और उन व्यापक दुख-पीड़ाओं के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता जो श्रीलंका के लोगों को सहनी पड़ीं। जुलाई, 1983 और मई, 1987 के बीच की अवधि विशेष रूप से श्रीलंका के इतिहास का दुखद अध्याय है। हजारों नागरिकों की हत्या हुई जिनमें तमिल, सिंहली, औरतें और बच्चे, यहां तक कि भिक्षु और पुजारी भी शामिल हैं। हजारों लोग बेघर होकर शरणार्थी बन गए, खुद अपने ही देश श्रीलंका में। करीब 1,50,000 श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी भारत आ गए।

हमने श्रीलंका की जातीय समस्या के स्थायी समाधान की एक रूपरेखा तैयार की। इस समझौते से वे बुनियादी आकांक्षाएं पूरी होती हैं जो तमिल संघर्ष का मूल कारण है, यानि उनकी यह इच्छा कि उनकी स्पष्ट जातीय अस्मिता को स्वीकार किया जाए; अपने राजनैतिक भविष्य के प्रबंध के लिए उन्हें राजनैतिक स्वायत्तता मिले; इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्हें समुचित राजकीय सत्ता प्राप्त हो; श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रान्तों को तमिलों के ऐतिहासिक निवास के क्षेत्रों के रूप में स्वीकृति मिले तथा तमिल को श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की एक राजभाषा माना जाए।

इस करार में श्रीलंका के पूर्वी और उत्तरी प्रान्तों को एक प्रशासनिक इकाई बना दिया गया है जिसकी अपनी एक निर्वाचित प्रान्तीय परिषद होगी और एक मुख्य मंत्री होगा। मई से दिसम्बर, 1986 के बीच जिन प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया था उनकी रूपरेखा के अन्तर्गत प्रान्तीय परिषद को अधिकार दिए जाएंगे ताकि श्रीलंका के प्रान्तों को पूर्ण रूप से स्वायत्तता का सुनिश्चय हो सके।

श्रीलंका में आपातकालीन स्थिति निकट भविष्य में हटा ली जाएगी। लड़ाई-बन्दी और शस्त्र समर्पण एक निश्चित समयावधि में किया जाएगा। सभी उग्रवादी वर्गों को आम माफी दी जाएगी। तीन माह के भीतर-भीतर प्रान्तीय परिषदों के चुनाव होंगे।

इस करार में उत्तरी और पूर्वी प्रान्तों के बीच सम्पर्क के बुनियादी मुद्दे पर 1988 के अन्त तक जनमत संग्रह का सुझाव है जिसे स्थगित करने का राष्ट्रपति को विवेकाधिकार होगा।

श्रीलंका के राष्ट्रपति और मैंने एक-दूसरे को पत्र भी दिए हैं जिनमें श्रीलंका ने भारत की राजनैतिक और सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं के प्रति सकारात्मक होना स्वीकार किया है। इस करार में और इन पत्रों में उन दायित्वों का विवरण दिया गया है जिन्हें वहन करना भारत ने स्वीकार किया है जिससे श्रीलंका की एकता, प्रादेशिक अखण्डता और स्थायित्व का सुनिश्चय हो सके। हम अपने इन दायित्वों को पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी तरह निभाएंगे।

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि कोलम्बो और श्रीलंका के कुछ अन्य हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में जो हिंसा भड़की है वह सिंहल आतंकवादी संगठन जे० वी० पी० का काम है। उनका सोचना था कि धार्मिक संगठनों और विरोधी दलों के कुछ सदस्यों ने अपने आपको जे० वी० पी० के हाथों का खिलौना बनने दिया है लेकिन मजदूर संघों और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी दल ने इस हिंसा का समर्थन नहीं किया है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को याद होगा इसी संगठन ने सन् 1971 में श्रीलंका में बड़े पैमाने पर विद्रोह करवाया था। इस विद्रोह को बनाने के लिए तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती भण्डारनायके ने हमसे सहायता मांगी थी और हमने तत्काल पूरी सहायता की थी।

राष्ट्रपति जयवर्धने ने बताया कि इन गड़बड़ियों के कारण बिगड़ती हुई स्थिति के परिणाम-स्वरूप और श्रीलंका की सुरक्षा सेनाओं पर इनकी ओर से आने वाली बढ़ती हुई मांगों की वजह से उनकी सरकार को जातीय संकट को समाप्त करने के उद्देश्य से भारत-श्रीलंका करार को क्रियान्वित करने के लिए सहायता की आवश्यकता होगी। इस उद्देश्य से श्रीलंका की सरकार ने समुचित भारतीय सैनिक सहायता के लिए औपचारिक अनुरोध किया ताकि जाफना प्रायद्वीप में लड़ाई-बंदी

और शस्त्र समर्पण, और अगर जरूरत पड़े तो पूर्वी प्रान्त में भी, सुनिश्चय हो सके। उन्होंने श्रीलंका के कुछ सैनिकों को जाफना से दक्षिण में कुछ स्थानों पर ले जाने के लिए सैनिक परिवहन के लिए भी अनुरोध किया।

श्रीलंका की सरकार के इस औपचारिक अनुरोध के उत्तर में तथा हाल ही में सम्पन्न भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत अपने दायित्वों के अनुरूप भारत की सशस्त्र सेना के यूनिट आज जाफना प्रायद्वीप में उतर गए हैं। मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि हमारे सैनिक श्रीलंका में श्रीलंका की सरकार के विशिष्ट और औपचारिक अनुरोध पर वहां उतरे हैं जिन्होंने भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत हमारे दायित्वों और वायदों का हवाला दिया था। हमारे सैनिक श्रीलंका में जातीय संकट को समाप्त करवाने के लिए किए गए करार को कार्यान्वित कराने में मदद देने के उद्देश्य से भेजे गए हैं और उनका वहां भेजा जाना श्रीलंका की एकता और अखण्डता के प्रति हमारी वचनबद्धता का प्रतीक है। हम विभिन्न स्तरों पर श्रीलंका सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

यह करार करना श्रीलंका की सरकार और श्रीलंका के नेताओं के लिए आसान बात नहीं रही है। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति जयवर्धने की बुद्धिमता, उनके साहस और उनकी राजनीतिमत्ता की सराहना करना चाहूंगा।

मैं आश्वस्त हूं कि श्रीलंका के साथ हमने कल जिस करार पर हस्ताक्षर किए हैं उससे श्रीलंका के हाल के इतिहास का एक दुखद अध्याय समाप्त हो गया है और भारत श्रीलंका संबंधों का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। मैं इस ओर से भी पूरी तरह आश्वस्त हूं कि इस करार से अतीत का तनाव और अविश्वास दूर हो जाएगा तथा श्रीलंका और भारत के लोगों के बीच की मित्रता और अधिक सुदृढ़ होगी जो 2500 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं और जिनका इतिहास तथा सांस्कृतिक परम्परा एक रही है।

कल कोलम्बो में महामान्य राष्ट्रपति जयवर्धने और मैंने जिस करार पर हस्ताक्षर किए हैं, उसका पाठ और हमारे बीच जिन पत्रों का आदान-प्रदान हुआ है उनका पाठ भी यशाशीघ्र सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

श्री पी० कुलनदेईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : आप * श्रीलंका। महोदय, हम आपके बहुत आभारी हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस शब्द को कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : मैं आपसे सदन को स्थगित करने का निवेदन करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : काम करेंगे।

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक मेरी प्रार्थना है कि प्रधान मंत्री ने भारत और श्रीलंका की बहबूदी के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर जो काम किया है, उसके

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लिए हम सब और सारा सदन भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान इनको लम्बी आयु दे जिससे यह सदैव देश की रक्षा करते रहें।

[अनुवाद]

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : हमें यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि प्रधान मंत्री जी इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सुरक्षित वापस लौट आए हैं। महोदय, मैं सदन की तरफ से प्रार्थना करता हूं कि आज के लिए सभा स्थगित कर दी जाए।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैं इसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम देखते हैं कि हमेशा सभी को स्वीकार्य स्थिति आती है।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसौर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रधान मन्त्री जी को बधाई देता हूं। मेरी छः पंक्तियां राजीव जी को और आप सबको देश की तरफ से अर्पित हैं :

"रक्त सनी धरती पर छिड़का मां गंगा का पानी,
महाबुद्ध के बेटों को दे आए नई कहानी,
तमिल और सिंहल दोनों हैं सगे सहोदर भाई,
जान हथेली पर लेकर भी तुमने शान्ति सुधा बरसाई,
मां भारत का आंचल तुम पर सदियों तक लहराये,
अमर रहे राजीव हमारा बच्चा-बच्चा गाये।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सुझाव को स्वीकार करता हूं और इस प्रार्थना के साथ कि श्री राजीव गांधी···

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : अध्यक्ष जी, मैं भी इसके संबंध में एक शेर कहना चाहता हूं :

"आपका दौरे हकुमत यादगारे अदल है,
कश्ती ए गांधी को साहिल पे उतारा आपने।"

अध्यक्ष महोदय : इस प्रेयर के साथ मैं समझता हूं आपकी शुभकामनाएं भारत और श्रीलंका, दोनों ही देश के वासियों को कि दोनों भाई की तरह से हाथ में हाथ मिलाकर और बहुत ही अच्छे स्वर्णिम काल की प्रतीक्षा में मिलकर काम करते रहें और पूरे तरीके से हम पुरानी बातें, जो कि कटुता की हैं, वे भूल जाएं और प्यार से आगे बढ़ें।

5.45 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 31 जुलाई, 1987/9 श्रावण, 1909 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर दिल्ली-53.